न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— पूनम मीणा (RAS)

मुकदमा नम्बर :— 181 / 2024

GCMS NO. 2024/411

महीपाल पुत्र फता जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9462345853

.....................वादी

— ब ना म —

1. चमेली पत्नी मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राकेश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. रामसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सुमन पुत्री मेहरचन्द पत्नी रूपचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद सूरजनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडबर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....................प्रतिवादीगण

दावा — खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

1. श्री राजेश यादव	अभिभाषक	वादी
2. श्री रामस्वरूप यादव	अभिभाषक	प्रतिवादी 1 लगायत 4

—: निर्णय :— दिनांक :— 29.09.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:38 IST
Reason: SelfAttested

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्याय[illegible] का निर्णय दिनांक **06.03.2025** को पारित कर तहसीलदार बुहाना [illegible] इस [illegible]शय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादी एवं प्रतिदावा [illegible] 4 स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम **अमरसर** पट[illegible] अहीरान तहसील बु[illegible] जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075[illegible]78 के हाल खाता स[illegible] **26** के हाल खसरा नम्बर नम्बर क्रमशः 1, 110, 16, 23, 78 कुल किता 5 कुल

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

रकबा 6.08 हेक्टेयर में दर्ज वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त 1/2 हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवारे के अनुसार तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता सुविधा के अनुसार कायम करते हुये वादी का अलग एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से खाता विभाजन कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को 1,000/- रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे पक्षकारान के जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारे के अनुसार तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता सुविधा के अनुसार कायम करते हुये तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30-09-2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प-15/2008/विविध/10546 दिनांक 05-10-2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे।

2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू0अ0/वि.प्र./25/1080 दिनांक 16.04.2025 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

3. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.04.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

4. अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादी के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।

5. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.04.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन [illegible] कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व [illegible] के द्वारा दिनांक 08.04.2025 को पक्षकारान के मौके पर [illegible] तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से [illegible] एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30-09-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म. / न्याय / स्था. / प–15 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 08.04.2025 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब' ग्राम अमरसर) के अनुसार वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

8. अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.04.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब' ग्राम अमरसर) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब' ग्राम अमरसर) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के विभाजित भूमि का मौके पर सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार **अंतिम** पर्चा डिक्री जारी हो।

9. निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— पूनम मीणा (RAS)

महीपाल पुत्र फता जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9462345853

..................वादी

– ब ना म –

1. चमेली पत्नी मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राकेश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. रामसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सुमन पुत्री मेहरचन्द पत्नी रूपचन्द जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद सूरजनवास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडबर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— **खाता विभाजन, अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा नम्बर :— 181 / 2024

GCMS NO. 2024/411

निर्णय दिनांक :— 29.09.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:38 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी की ओर से **श्री राजेश यादव** [illegible] 1 लगायत 4 की ओर से **श्री रामस्वरूप यादव** एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **29.09.2025** को **पूनम मीणा (RAS)** उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

है कि :– "वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.04.2025 (मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब' ग्राम अमरसर) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब' ग्राम अमरसर) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के विभाजित भूमि का मौके पर सीमांकन करवायेंगे।"

2. खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

3. यह आज तारीख **29.09.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:38 IST
Reason: SelfAttested